न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (39)

प्र0क0 /2017 निगरानी R 569-I-17

कमलेश कुमार आत्मज लखनलाल
निवासी– सा. देह, चौकीताल तहसील व
जिला जबलपुर (म.प्र.) ———आवेदक

श्री ____ द्वारा आज दि. 6/2/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म0 प्र0 शासन ——अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 (1) म.प्र.भू राजस्व संहिता –1959 विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 04/बी–121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31–3–2012 से परिवेदित होकर।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 569-एक/17 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्षर
5-12-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा नगर भूमि सीमा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है । उक्त अधिनियम के तहत राजस्व मण्डल को निगरानी सुनने की अधिकारिता नहीं थी । अतः राजस्व मण्डल द्वारा मूल प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 7-2-2017 प्रथम दृष्टया ही क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, जिसे स्थिर रखा नहीं जा सकता है । उपरोक्त स्थिति में राजस्व मण्डल का प्रकरण क्रमांक निगरानी 569-एक/17 आदेश दिनांक 7-2-2017 पुनर्विलोकन में लिया जाकर निरस्त किया जाता है तथा इसी के साथ मूल निगरानी प्रकरण क्रमांक निगरानी 569-एक/17 भी मण्डल में प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	